सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 432 राँची, बुधवार, 18 ज्येष्ट, 1938 (श०)

8 जून**, 2016** (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

अधिसूचना

30 मई, 2016

संख्या-02/निग0सह0-50/2007-1287--दी गुमला-सिमडेगा, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, गुमला में अनियमित तरीके से दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा विनियमित कर वर्ष 1993 से ही बकाया राशि का भुगतान कर बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाने, दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों को बिना सूद के अग्रिम राशि भुगतान कर बैंक को आर्थिक क्षति पहुँचाने, दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मियों के ऋण स्वीकृत कर बैंक राशि का दुर्विनियोग करने, बैंक कर्मियों को अनियमित तरीके से बिना सूद के तथा सूद सहित अग्रिम/ऋण भुगतान कर बैंक राशि का दुर्विनियोग करने आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-654 दिनांक-16 मई, 2005 द्वारा श्री चन्देश्वर कापर, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी गुमला-सिमडेगा, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, गुमला के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए झारखण्ड असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 के अन्तर्गत विभागीय

कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. उक्त संकल्प के क्रम में विभागीय पत्रांक 635 दिनांक 26 अप्रैल, 2006 द्वारा श्री कापर के विरूद्ध पूरक आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर संचालन पदाधिकारी को भेजा गया ।

3. विभागीय संकल्प संख्या 75 दिनांक 29 जनवरी, 2007 द्वारा श्री कापर के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी उप सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के स्थान पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची को नियुक्त किया गया ।

4. पुनः विभागीय पत्रांक 374 दिनांक 09 मार्च, 2007 एवं पत्रांक 2240 दिनांक 07 नवम्बर, 2007 द्वारा श्री कापर के विरूद्ध पूरक आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर संचालन पदाधिकारी को भेजा गया।

5. निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 576 दिनांक 15 मार्च, 2012 सानुलग्नक द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का अधिगम समर्पित किया गया ।

6. संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित अधिगम में श्री कापर के विरूद्ध गठित कुल 38 आरोपों में से आरोप संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 25, 28 एवं 30 पूर्णतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या 32 अंशतः प्रमाणित पाया गया ।

7. प्राप्त अधिगम के आलोक में समीक्षोपरान्त श्री कापर को "सेवा से बर्खास्त" करने संबंधी वृहद दण्ड देने के लिए विभागीय पत्रांक 1699 दिनांक 13 जुलाई, 2013 द्वारा श्री कापर को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। इस हेतु श्री कापर को विभागीय स्मार पत्रांक 2148 दिनांक 22 अगस्त, 2013, पत्रांक 2365 दिनांक 12 सितम्बर, 2013 एवं पत्रांक 3419 दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 द्वारा स्मारित किया गया। साथ ही विभागीय ज्ञापांक 2147 दिनांक 22 अगस्त, 2013, ज्ञापांक 3420 दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 एवं ज्ञापांक 564 दिनांक 12 फरवरी, 2014 द्वारा श्री कापर को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित किया गया ।

8. श्री कापर ने अपने पत्र दिनांक 22 फरवरी, 2014 सानुलग्नक द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उŸार विभाग में समर्पित किया ।

9. समीक्षोपरान्त श्री कापर के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए "सेवा से बर्खास्त" करने के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. विभागीय पत्रांक 1677 दिनांक 11 जुलाई, 2013 के अनुपालन में दी गुमला-सिमडेगा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, गुमला के पत्रांक 195 दिनांक 13 जुलाई, 2013 सानुलग्नक द्वारा श्री कापर के विरूद्ध स्थानीय थाना, गुमला में दर्ज किये गये प्राथमिकी (प्राथमिकी संख्या 248/2013 दिनांक 13 जुलाई, 2013) संबंधी सूचना विभाग को प्रेषित किया गया ।

11. उक्त विभागीय पत्रांक 1677 दिनांक 11 जुलाई, 2013 को निरस्त करने हेतु श्री कापर के द्वारा WP(S) No. 7740/2013 चन्देश्वर कापर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसमें विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र (आॅथ संख्या-10040 दिनांक 24 जुलाई, 2014) दाखिल किया जा चुका है। सम्प्रति उक्त वाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।

12. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक 710 दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा श्री कापर को "सेवा से बर्खास्त" किये जाने के दण्ड पर आयोग द्वारा अपनी सहमति दी गयी ।

13. एक अन्य मामले (खरीफ विपणन मौसम 2012-13 में पाकुड़ जिला में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितता आदि) में विभागीय अधिसूचना संख्या 3171 दिनांक 29 नवम्बर, 2013 द्वारा श्री कापर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पाकुड़ को कतिपय आरोपों के लिए Civil Services (Classification Control and appeal) Rules 1930 d fu;e 49(A)(1)(a) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं निलंबन अवधि में श्री कापर का मुख्यालय निबंधक कार्यालय, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची निर्धारित है। इस मामले में भी श्री कापर के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 1524 दिनांक 29 अप्रैल, 2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त श्री कापर को वृहद दण्ड दिया जाना प्रक्रियाधीन है ।

14. विभागीय संलेख ज्ञापांक-964 दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के माध्यम से मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 17 मई, 2016 में मद संख्या-8 के रूप में श्री चन्देश्वर कापर, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी गुमला-सिमडेगा, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, गुमला-सम्प्रति-निलंबित- (मुख्यालय कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची) को प्रमाणित आरोपों के लिए "सेवा से बर्खास्त" किये जाने का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गयी ।

अतः श्री चन्देश्वर कापर, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी गुमला-सिमडेगा, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, गुमला-सम्प्रति-निलंबित-(मुख्यालय कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची) को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए "सेवा से बर्खास्त" किया जाता है ।

श्री कापर के निलंबन अवधि पर निर्णय उक्त विभागीय संकल्प संख्या 1524 दिनांक 29 अप्रैल, 2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० नितिन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 432—50 ।